संख्या: 48/2018/3781/12-2-2018-60(6)/2017 टी0सी0

प्रेषक,

अमित मोहन प्रसाद,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
2. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश शासन।

कृषि अनुभाग-2 लखनऊ: दिनांक: 06 दिसम्बर 2018

विषय: फसल ऋण मोचन योजना के अन्तर्गत नान एन0पी0ए0, एन0पी0ए0 तथा शिकायत संबंधी प्रकरणों के निस्तारण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या: 824 बी/क0नि0-6-2018-20(बी)15/2017 दिनांक 13 जुलाई, 2018 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसके द्वारा फसल ऋण मोचन योजना के अन्तर्गत नान एन0पी0ए0, एन0पी0ए0 तथा शिकायत संबंधी प्रकरणों के निस्तारण के सम्बन्ध में प्रस्तर-7 में यह उल्लेख किया गया है कि "ऐसे प्रकरण जो मुख्यालय से सस्पेक्ट के आधार पर डी0एल0सी0 को वापस किये गये हैं, डी0एल0सी0 द्वारा स्थलीय सत्यापन के आधार पर उन्हे पात्र पाते हैं तो उनकी प्रविष्टियों में यथावश्यक संशोधन कर कृषकों को योजना का लाभ प्रदान करने की कार्यवाही योजना में विहित प्राविधानों के अनुसार की जाये और पोर्टल पर संशोधित/असंशोधित दोनों प्रविष्टियॉ अपलोड की जायें।"

2. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है प्रकरण में विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया है कि भौतिक सत्यापन एवं बैंक तथा तहसील की संस्तुति के आधार पर डी0एल0सी0 द्वारा ऐसे प्रकरणों में अब आवश्यकतानुसार खाता संख्या, नाम एवं पिता के नाम में संशोधन किया जा सकेगा। खाता संख्या, नाम एवं पिता का नाम केवल उन्ही खातों में संशोधित किया जा सकेगा, जिनकी डिमाण्ड जनरेट हो चुकी है।

कृपया उक्त निर्देशों का कडाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

भवदीय,

(अमित मोहन प्रसाद)
प्रमुख सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या: 48/2018/3781(1)/12-2-2018 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
2. महानिदेशक, संस्थागत वित्त विभाग, 16 विधान सभा मार्ग, लखनऊ।
3. राज्य सूचना विज्ञान अधिकारी, एन0आई0सी0, लखनऊ।
4. कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
5. संयोजक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, बैंक आफ बडौदा, बडौदा हाऊस, गोमती नगर, लखनऊ।

आज्ञा से,

(श्रुति सिंह)
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।